


13



न्यायालय: माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश

ग्वालियर म0प्र0 लिग/3183-PBR-15

प्र. क्र. /निगरानी/ /पी0बी0आर/2015

दिनांक 20-11-15 का  
श्री. जादीश शिवारत व को प्रो.  
द्वारा प्रस्तुत /  
20-11-15  
SD

1. राजेन्द्र खटीक पुत्र श्री भगवानलाल खटीक
2. राजू बाथम पुत्र श्री रामकिशन बाथम निवासी  
ग्राम पुरानी छावनी तहसील व जिला ग्वालियर  
म0प्र0 .....प्रार्थीगण

बनाम

1. अहवरनसिंह यादव पुत्र रामसिंह यादव निवासी  
ग्राम गंगामालनपुर तहसील व जिला ग्वालियर  
म0प्र0
2. मैहफूश हुसैन खान पुत्र स्व0श्री महमूल हुसैन  
निवासी 12 लैदर फैक्ट्री कॉलेनी मुरार ग्वा0
3. अनु राम जैन पुत्र अशोकजैन, निवासी बी-36,  
गॉधीनगर ग्वालियर म0प्र0 .....प्रतिप्रार्थीगण  
तुलसीराम बाथम (मृतक)  
वारिसान
4. श्रीमती राधादेवी बाथम पत्नी स्व0 श्री  
तुलसीराम
5. कमलकिशोर बाथम पुत्र स्व0श्री तुलसीराम  
बाथम निवासी राजामण्डी चार शहर का नाका  
ग्वालियर म0प्र0
6. श्रीमती शांतिबाथम पुत्र श्री प्यारेलाल बाथम
7. राजेन्द्र बाथम पुत्र श्री प्यारेलाल बाथम
8. पप्पू उर्फ गजेन्द्र पुत्र श्री प्यारेलाल बाथम
9. प्यारेलाल पुत्र स्व0श्री गंगाराम बाथम  
निवासीगण राजाकी मण्डी ग्वालियर म0प्र0
10. हरीकिशन बाथम पुत्र श्री बाबू बाथम निवासी  
ग्राम पुरानी छावनी तहसील व जिला ग्वा0  
.....फॉर्मल प्रतिप्रार्थीगण

जादीश शिवारत  
20/11/15  
(जादीश शिवारत)  
25/11/15

(2)


म0प्र0भूराजस्व संहिता की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी महोदय सिटी जिला ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 28/2013-14 अपील मे पारित आदेश दिनांकी 30.10.2015 के निर्णय के विरुद्ध निगरानी

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3783-पीबीआर/15

जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2-4-2019	<p>प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकगण द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है । उभय पक्ष दिनांक 30-5-2019 को सुनवाई हेतु कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हों । उभय पक्ष को सूचना दिया जाये ।</p>	<p> अध्यक्ष</p>